माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई जिला अजमेर राज0

राज0वाद सं0 58 / 2025

हनुमान पुत्र केशा जाति रेगर निवासी ग्राम अराई जिला अजमेर राज0

बनाम

कल्याण पुत्र केशा जाति रेगर निवासी ग्राम अराई जिला अजमेर राज0 वगै

आदेश

दिनाक 11.02.2026 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता मय प्रतिवादी कोई उपस्थित नही ।रूक रूक कर अलग अलग समय पर शाम तक आवाजे लगाई कोई उपस्थित नहीं । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तथा पुर्व दिनाक 07.01.2026 को प्राथमिक डिकी जारी की गयी। प्रार्थी द्वारा आज दिवस तक तहसील में प्राथमिक डिकी बाबत कोई चालान जमा नही करवाया गया है। प्रार्थी मात्र उपरोक्त में स्थगन लेकर उक्त प्रकरण को लम्बा चलाना जाहिर होता है तथा प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता उक्त पत्रावली बाबत उदासीन है। तथा बार बार आवाजे लगाने के उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली अदम हाजरी पेरवी में खारिज की जाकर नम्बरो से कम होकर फैसल शुमार की जाकर दफतर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)